नर्मदा बचाओ आंदोलन
• नर्मदा–आशिष, नवलपुरा, बडवानी, मध्यप्रदेश ४५११५१
• दूरभाष : ९७५५५४४०९७
इमेल : nba.badwani@gmail.com, medha.narmada@gmail.com
• मैत्री निवास, टेंबेवाडी (काकावाडी के पीछे) धडगाव, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र ४२५४१४
• दूरभाष : ९४२३९०८१२३
इमेल : nba.maha@gmail.com, latikala@gmail.com

Narmada Bachao Andolan
• Narmada-Ashish, Navalpura, Badwani, Madhya Pradesh 451551
• Tel: 9755544097
Email: nba.badwani@gmail.com, medha.narmada@gmail.com
• Maitri Niwas, Tembewadi, Behind Kakawadi, Dhadgaon, Dist. Nandurbar, Maharashtra 425414
• Tel: 9423908123
Email: nba.maha@gmail.com, latikala@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक:-25.08.2024

सरदार सरोवर से यही पुकार| डूब रहा राज्य हित, जनजन का अधिकार|

नर्मदा को अविरल बहने दो| निर्मल रहने दो||

नर्मदा घाटी में आजतक बने बड़े और मध्यम बांधों में से एक महाकाय बांध सरदार सरोवर से सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सवाल उठाते और विस्थापितों के अधिकार जताते चल रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन के 39 साल पूरे हो चुके हैं और 40 वें साल में प्रवेश हुआ है| इन करीबन 4 दशकों में नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसला, राज्य ने गठित की नर्मदा योजनाओं के लिए पुनर्वास नीति (2017 तक के आदेश सहित) एवं सर्वोच्च न्यायालय के 2000, 2005, 2017 के प्रमुख आदेश और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों के तहत् 3 राज्यों के विस्थापितों ने 30,000 से अधिक परिवारों के लिए पुनर्वास में खेती, मकान के लिए भूखंड और सैकड़ो पुनर्वसाहटों के रूप में लाभ पाया है| करीबन 20,000 भूधारक किसानों को वैकल्पिक 5 एकड़ भूमी का हक भी मिला है| मछुआरे, केवट, कुम्हार, दुकानदार जैसे भूमीहीन परिवारों को भी वैकल्पिक आजीविका पर दिये राज्य शासन के आदेश हासिल किये हैं|

2023 की डूब और बर्बादी अवैध

इसके बावजूद आज भी हजारों परिवारों का पुनर्वास अधूरा होते हुए मध्यप्रदेश के, पश्चिम निमाड़ के बड़वानी, धार, खरगोन जिले के मैदानी तथा अलिराजपुर के पहाड़ी गांवों में 'बिना पुनर्वास डूब' लाकर कानून और आदेशों का उल्लंघन किया गया है| 2023 की डूब से साबित है कि अतिवृष्टि से केवल नहीं, नर्मदा घाटी के बर्गी से ओंकारेश्वर तक के बांधों से, उपनदियों से जलविसर्ग/ जलप्रवाह का सही पर्याप्त नियमन न करने से, तथा 17 सितंबर के रोज प्रधानमंत्री के जन्मदिन समारोह के लिए जलाशय में पानी लबालब भरके समारोह होने तक पर्याप्त मात्रा में गेट्स न खोलने से बड़वानी, धार, खरगोन इन जिलों के ही 172 गावों में डूब से 8000 से अधिक घर ध्वस्त हुए और / या सामान, अनाज, चारा, मवेशी सभी का नुकसान भुगतना पड़ा और 6 इंसानों की मौत हुई| बिना भूअर्जन खेती भी हजारों एकड़ डूब गयी| हजारों परिवारों को (बड़वानी में 1328, धार में 5972, घरों के, बड़वानी में 1290 परिवारों को, धार में 2466 परिवारों को फसलों के नुकसान की) राहत राशि मिली, लेकिन आजतक नुकसान की पूरी भरपाई नहीं, जिसका जाहिर आश्वासन चुनावी सभा में शिवराज सिंह चौहान जी ने सितम्बर 2023 में ही दिया था|

गुजरात में भी 17 सितम्बर को गेट्स देर से खोलने पर 18 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ने पर भरूच, अंकलेश्वर, वडोदरा- तीन जिलों के आदिवासी, मछुआरे और शहरवासीयों के घर, दूकान, खेत हजारों की तादाद में और अनेक तीर्थ, मंदिर भी डूब से बर्बाद हुए| महाराष्ट्र के सैकड़ों आदिवासी परिवारों के खेत बिना भूअर्जन डूब गये!

बिना पुनर्वास डूब नामंजूर

"पुनर्वास पूरा हुआ है" इस दावे के साथ '0' बैलेंस बताने का खेल, 2009 से 2023 तक के नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA) के हर वार्षिक रिपोर्ट में किया दावा और प्रत्यक्ष धरातल की स्थिति से स्पष्ट हो ही चुका है! 2009 के बाद ही तो हजारों को पुनर्वास में भूखंड या अन्य लाभ भी दिये गये लेकिन 2017 में बांध पूरा करने का निर्णय लिया तब 31,000 परिवार डूब क्षेत्र में निवासरत बाकी थे! बैकवाटर लेवल्स जो केंद्रीय जल आयोग ने कानूनन 1984 में तय किये थे, वह 2008 में NCA से गठित कमिटी द्वारा कम करके, 15946 परिवारों को घर/ दुकान का भूअर्जन होने के पश्चात 'डूब से बाहर' किया था, उनके ही घर/ दुकान डूब में आकर पुनरीक्षित जलस्तर गलत साबित हुआ| आज भी हजारों को 'बिना पुनर्वास डूब' भुगतने से अन्याय अत्याचार भुगतना पड़ रहा है!

इस साल भी सही जलनियमन न करते हुए पुनर्वास के बिना, नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसला और न्यायालयीन आदेशों के उल्लंघन के साथ, विस्थापितों को डूबाया गया तो शासको का बड़ा अपराध साबित होगा| आज 134 मीटर तक जलस्तर के किनारे गांव, मोहल्ले, खेत, मंदिर है| पानी डूब लाने तक आगे बढ़ेगा तो 'जलसत्याग्रह' करने का हमारा संकल्प है| सरदार सरोवर के गेट्स सितंबर में भी खुले रखकर 122 मीटर पर पानी रोकना ही कानूनी और न्यायपूर्ण होगा|

नये बांधों को आगे धकलने में न हो कानून और मूलनिवासियों की अवमानना!

नर्मदा घाटी में बर्गी से ओंकारेश्वर तक के बड़े बांधों के और उपनदियों पर बने बांधों के भी विस्थापितों को आजतक वैकल्पिक जमीन और पुनर्वसाहटों का पूरा हक नहीं मिला है| इस परिप्रेक्ष्य में बसानिया, राघवपुर, चिंकी, अप्पर नर्मदा, मोरांड गंजाल जैसे, कुछ साल पहले रद्द किये बांधों को पर्यावरणीय नहीं, प्रशासकीय मंजूरी देकर बजट आबंटित किया गया है, जबकि हजारों हेक्टर्स जंगल और खेती डूबाना, बिना पुनर्वास की योजना के मुआवजा की राशि मात्र बढ़ाना, राज्य की पुनर्वास नीति का उल्लंघन है| आदिवासी समाज पर तो यह अत्याचार ही होगा| 'पेसा' कानून और ग्रामसभाओं की सहमति की कानूनी प्रक्रिया का भी उल्लंघन हो रहा है! 2013 के भूअर्जन और पुनर्वास कानून के अनुसार विकास नियोजन की प्रक्रिया नहीं हो रही है! जल, जंगल, जमीन और नदी घाटी की इकाई इससे खतरे में है|

सरदार सरोवर का उर्वरित पुनर्वास कार्य करीबन 1000 करोड रुपए का था, यह 2018 में मध्यप्रदेश शासन ने केंद्र शासन को बताया और शासकीय तथा वनभूमी की कीमत 7000 करोड रुपए तक मध्यप्रदेश को प्राप्त नहीं थी| आज इससे भी बढ़ी हुई अधिक राशि का आजतक राज्य को भुगतान नहीं हुआ है| गुजरात में पुनर्वास पर संपूर्ण खर्चा, उठाना, जो कानूनी प्रावधान है, मना किया है तो विवाद जारी है! बिजली का एकमात्र लाभ भी सालों से सही मात्रा में नहीं मिलने से 904 करोड रुपए की मांग मध्यप्रदेश ने की है| इस पूरी आर्थिक स्थिति पर विवाद और मध्यस्थता जारी है! यह कैसा कि सरदार सरोवर में 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' और संबंधित पर्यटन योजनाओं की भी हजारों करोड रुपए की लागत सम्मिलित करवाकर बाँध की कुल लागत 90,000 करोड़ रु. होते हुए भी मध्यप्रदेश के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए तथा अन्य हकदारी का फंड नहीं मिल रहा है? इस स्थिति में राज्य शासन की जिम्मेदारी होते हुए भी मध्यप्रदेश के राज्य स्तरीय बजट में मात्र 154 करोड रुपए सरदार सरोवर के लिए आबंटित करते हुए, उपरी क्षेत्र के नये बांधों को आगे बढ़ाने करोड़ों का बजट आबंटित करना कहां तक सही है?

नर्मदा का जल और नदी, तथा सरदार सरोवर बांध भी है, खतरे में!

आज नर्मदा नदी किनारे चल रहे अवैध रेत खनन से नर्मदा के भूजलचक्र पर गंभीर असर निश्चित है| सर्वोच्च अदालत के (27.02.2012) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के (06.05.2015) और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) दिल्ली के (2013 के मुख्य सचिव को आदेशों) तथा NGT भोपाल के (30.05.2017) के फैसलों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है! सरदार सरोवर के ही लिए अर्जित, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पक्ष में नामांतरित जमीन पर, यह अवैध कार्य चलकर नदी में गाद भरने से लाभों पर भी गंभीर असर है| इन सबका पीने का पानी से मत्स्यव्यवसाय और सिंचाई पर असर आज ही भुगत रही है घाटी की जनता!

नर्मदा के जल में, पूर्णक्षमता की STPs का निर्माण न होने से, जबलपुर से बड़वानी तक के शहरों की गंदगी, पीथमपुर जैसे औद्योगिक इस्टेट से बह रहे अवशिष्ट पदार्थ और खेती के केमिकल विसर्ग से प्रदूषण भरपूर है| 2022, 2023, 2024 की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट अनुसार पानी 'पीने लायक' और 'इंसानों के लिए उपयुक्त' नहीं है! नदियों को निर्मल रखने के बदले, इसी में क्रूझ चलाने की योजना जिसमें भी NGT- भोपाल के 2022 के और सर्वोच्च अदालत के मार्च 2024 के फैसलों का उल्लंघन है, उससे राष्ट्रीय जलपरिवहन प्राधिकरण और मध्यप्रदेश पर्यटन निगम, नर्मदा का जल अधिक प्रदूषित करने की ओर बढ़ रहे हैं!

सरदार सरोवर बांध में आयी है दरारें! कुछ सालों से चर्चा होते हुए भी इनका 50% रिपेअरिंग, दुरुस्ती कार्य बाकी है तो खतरा, Dam Safety कानून के अनुसार भी, मंडरा रहा है, विशेषत: नीचेवास की गुजरात की जनता पर!

इस संपूर्ण हकीकत पर राज्य और केंद्र शासन तत्काल कार्यवाही करे, नर्मदा, प्रकृति और घाटी के निवासीयों को जीने का अधिकार बचाने की कार्यवाही करे; तथा नर्मदा का पूजन करने वाली जनता- बुद्धिजीवी और श्रमजीवी भी- गहराई से सोच और आजतक जारी संघर्ष और निर्माण कार्य का समर्थन करें, यही ऐलान है!

वाहिद मंसूरी **कमला यादव** **मेधा पाटकर**

संपर्क:- 8839295127 / 9179617513